न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4111–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–04–2013 पारित द्वारा अपर तहसीलदार तहसील व जिला इंदौर प्रकरण कमांक 1/अ–13/2011–12.

ज्योति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
तर्फे अध्यक्ष श्री बालकृष्ण पिता कचरूमल जवेरी
निवासी 46 शक्कर बाजार इंदौर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

बलजीत सिंह पिता जसवंत सिंह साहनी
निवासी 80 विष्णुपुरी इंदौर म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी.आर.ब्यास एवं श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/12/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार तहसील व जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–04–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व व स्वामित्व की भूमि ग्राम तेजपुर गडबडी स्थित सर्वे कमांक 310/1/2 पैकि रकबा 0.397 एवं 310/3 पैकि .0.25 हेक्टेयर है । अनावेदक की भूमि से लगी हुई भूमि

सर्वे कमांक 308/2, 308/3, 308/4, 308/5 एवं 308/7 आवेदक संस्था की भूमि है जिससे होकर परम्परागत रूढिगत रास्ता है, जिसका उपयोग अनावेदक 40–50 वर्षो से कर रहा है । आवेदक द्वारा उक्त रास्ते को बन्द करने के उद्देश्यों से चूने की लकीर डाल दी है और पक्का निर्माण कर रास्ता बन्द कर रहा है, अतः उक्त रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–13/2011712 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई, कार्यवाही के दौरान आवेदक संस्था द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का अनावेदक द्वारा आवासीय उपयोग हेतु संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से प्रारम्भिक स्वरूप की अनुज्ञा प्राप्त की गई है । इस प्रकार अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग कृषि अथवा कृषि संबंधी अन्य गतिविधियों के लिये नहीं कर रहा है, अतः संहिता की धारा 131 लागू नहीं होती है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–4–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) उभयपक्ष के मध्य दीवानी न्यायालय में दावा चल रहा है । प्रथम दावा में अनावेदक द्वारा रास्ता दर्शित होना प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दीवानी न्यायालय ने रास्ता नही मानते हुये अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है । बाद में उक्त दावा अनावेदक द्वारा वापिस ले लिया गया है । द्वितीय वाद आवेदक संस्था द्वारा अनावेदक के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है । उक्त वाद में व्यवहार न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसकी अपील भी व्यवहार न्यायालय से निरस्त हो गई है ।

(2) संहिता की धारा 131 कृषि भूमि पर आने–जाने के रास्ते के संबंध में प्रयुक्त की जाती है, जबकि संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश विभाग में अनावेदक द्वारा आवेदन

पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग रहवास हेतु करना बताया गया है, इससे सिद्ध होता है कि प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु नहीं होकर अन्य कार्य के लिये हो रहा है, इसलिये संहिता की धारा 131 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

(3) राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन रास्ते का उल्लेख नहीं है और अनावेदक आवेदक की भूमि से रास्ता प्राप्त करना चाहता है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है ।

(4) व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान व्यर्थ की कार्यवाहीयों को निरस्त करने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं । प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में जब व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित है, तब राजस्व न्यायालय के समक्ष कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

(5) अनावेदक द्वारा सुखाधिकार के आधार पर विवाद किया गया है जिसकी अधिकारिता राजस्व न्यायालयों को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है ।

तर्क के समर्थन में 1997 आर.एन. 390 एवं 278 तथा 1989 आरएन 1 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 में वाद पत्र किस आधार पर नामंजूर किया जाता है, वे आधार वतलाये गये हैं । आवेदक द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 में उल्लिखित आधारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, अतः उक्त आवेदन पत्र प्रथमदृष्टया ही निरस्ती योग्य था जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से जो अनुज्ञा अनावेदक को प्रदान की गई है, वह प्रारंभिक स्वरूप की है और उसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि अनावेदक द्वारा आवास का निर्माण करा लिया गया है और खसरा वर्ष 2012–13 में प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग कृषि कार्य दर्शाया गया है, अतः इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जा रहा है ।

(3) आवेदक बार बार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में विलम्ब कर रहा है, जबकि तहसील न्यायालय द्वारा परम्परागत रास्ता होने के संबंध में अभी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है ।

(4) आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी 163 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और समय वर्जित प्रस्तुत निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है ।

(5) आवेदक की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया ग्राह्य योग्य ही नहीं है ।

(6) खसरा वर्ष 1981–82 लगायत 1985–86, वर्ष 1986–87 लगायत 1990–91 एवं वर्ष 1991–92 लगायत 1995–96 के कॉलम नम्बर 12 में परम्परागत रास्ता अंकित है, इससे स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा अनावेदक का रास्ता अवरूद्ध किया गया है, इसलिये संहिता की धारा 131 के प्रावधान लागू होते है ।

(7) पूर्व में आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो तहसीलदार इंदौर द्वारा दिनांक 27–12–12 को आदेश पारित कर निरस्त कर दिया गया, उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक संस्था द्वारा अपील या निगरानी नहीं किये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है ।

(8) आवेदक द्वारा पुनः व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

तर्क के समर्थन में 1971 आर.एन. 44 एवं 2002 आरएन 254 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन रास्ता परम्परागत रास्ता होने के आधार पर अनावेदक द्वारा रास्ता खुलवाये जाने की मॉग की गई है और वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि का

उपयोग कृषि कार्य के लिये हो रहा है, आवेदक का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजन से भिन्न आवासीय उपयोग में हो रहा है, इसलिये संहिता की धारा 131 लागू नहीं होती है क्योंकि आवेदक की ओर से इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग कृषि के लिये नहीं होकर आवास के लिये हो रहा है, जबकि अनावेदक की ओर से प्रस्तुत खसरों से प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु होना परिलक्षित होता है । दर्शित परिस्थितियों में अपर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार तहसील व जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–04–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर